बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

विज्ञापन

''सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता'' हेतु आवेदन आमंत्रण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार की योजनान्तर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (एक्ट–21 / 1860) के अधीन बिहार राज्य में निबंधित एवं मूलतः कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक गैर लाभकारी संस्थाओं / कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों से संलग्न प्रपत्रों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

यह सहायता **''बिहार स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नियमावली, 2012''** के नियमों के तहत दी जायेगी।

2) गतिविधियाँ जिनके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी–

(क) सांस्कृतिक कार्यक्रम, यथा–कार्यशाला, उत्सव–महोत्सव, प्रदर्शनी, नये नाटक का प्रोडक्शन, चाक्षुष कला में अभिनव परियोजना, सेमिनार, आर्टिस्ट रेजिडेन्सी, संस्कृति के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम, शोध सर्वेक्षण, प्रकाशन, अभिलेखीकरण तथा इनके लिए आवश्यक सहयोगी उपकरण आदि की खरीद के लिए दी जाएगी।

(ख) जिन स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को भूमि और भवन है, वैसी संस्थाओं को मूलभूत संरचना (यथा जीर्णोद्धार, निर्माण) के लिए अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके लिए भूखंड या भवन से संबंधित सत्यापित दस्तावेज जो संस्था के नाम होगा, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य / मरम्मति / जीर्णोद्धार के लिए प्राक्कलन एवं नक्शा की प्रति भी आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा।

3) सभी आवेदन पत्र बिहार संगीत नाटक अकादमी / बिहार ललित कला अकादमी / जिला पदाधिकारी / राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सांस्कृतिक संस्थाएं / उप विकास आयुक्त / अनुमंडल पदाधिकारी / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित होना अनिवार्य है।

4) आवेदन के साथ संलग्न किये जानेवाले कागजात –

(क) संस्था का संविधान / उद्देश्य और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति;
(ख) संस्था की उपविधि, संस्था के सदस्यों, पदाधिकारियों की सूची सहित;
(ग) संस्था का अद्यतन वार्षिक प्रतिवेदन (फोटोग्राफ और समाचार पत्र कतरनों के साथ);
(घ) संस्था (या सोसाइटी) की सामान्य परिषद / कार्यकारिणी निकाय द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने संबंधी पारित प्रस्ताव की कार्यवाही की प्रति;
(ड.) परियोजना की विस्तृत विवरणी, उसकी पूरी होने की अवधि, उसका कार्यान्वयन करानेवाले प्रोफेशनल्स की सूची, उनका बायोडाटा आदि तथा उसका बजटीय ब्रेकअप के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव
(च) संस्था का विगत तीन वर्षों की अवधि के साथ आय एवं व्यय का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अंकेक्षण प्रतिवेदन;
(छ) संस्था को विगत वर्षों में राज्य / केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान / वित्तीय सहायता का ब्योरा (यदि कोई हो,) उपयोगिता प्रमाण पत्र;
(ज) विहित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित पूर्व पावती रसीद (प्री रिसिट);
(झ) संस्था के बैंक खाता का प्रमाण संबंधित बैंक से प्राप्त प्रमाण पत्र;
(ञ) सरकार अथवा किसी प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का घोषणा पत्र।

5) अन्य सभी आवश्यक कागजातों के साथ विहित प्रपत्रों में आवेदन निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कमरा संख्या–321, तृतीय मंजिल विकास भवन (नया सचिवालय) बेली रोड, पटना–800015 को डाक से अथवा सीधे कार्यालय में **दिनांक 23.07.2018 के अपराह्न 5:00 बजे** तक प्राप्त किये जाएंगे।

25/6/18
(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

आवेदन पत्र (प्रपत्र–(I)

प्रपत्र–I

1.	संस्था / संगठन का नाम(पूर्ण पता सहित)	:	(हिन्दी में)– (अंग्रेजी के बड़े अक्षर में)–
2.	स्थापना की तिथि	:	
3.	क) निबंधन संख्या ख) वर्ष ग) राज्य का नाम (जहाँ संस्था निबंधित हुइ है) (सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	: : : :	
4.	पैन संख्या	:	
5.	संस्था का स्वरूप (शैक्षणिक, कलात्मक, शोध)	:	
6.	अनुदान राशि किस कार्य पर व्यय की जाएगी (परियोजना की पूर्ण विवरणी अलग से संलग्न करें)	:	
7.	(क) प्रस्तावित योजना का कुल बजट (ख) संस्था का अंशदान (ग) प्रस्तावित योजना हेतु कितनी राशि विभाग से याचित है	: : :	
8.	संस्था के विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न है वर्ष अंकित करें।	:	
9.	संस्था का विगत तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न है वर्ष अंकित करें (फोटोग्राफ और समाचार पत्र कतरनों के साथ)	:	
10.	संस्था का खाता संख्या (बैंक / डाकघर का खाता संख्या पता सहित)	:	
11.	संस्था के मुख्य कार्यकारी का नाम और उनका फोन तथा मोबाईल नम्बर	:	
12.	विहित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित पूर्व पावती रसीद	:	
13.	सरकार अथवा किसी प्राइवेट सेक्टर की एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होने का घोषणा पत्र	:	
14.	संस्था का विगत वर्षों में राज्य / केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान / वित्तीय सहायता का ब्योरा (यदि कोई हो,) उपयोगिता प्रमाण पत्र	:	
15.	संस्था का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) एवं खाता संख्या, IFSC CODE, बैंक एवं शाखा का नाम के साथ		

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचनाएँ सही है। गलत सूचना पर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

संस्था प्रधान का हस्ताक्षर
एवं मुहर

प्रपत्र–II

अनुशंसा

मैं ....(संस्था का नाम) को व्यक्तिगत रूप से जानता/जानती हूँ, यह संस्था/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कला संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। मैं इन्हें वित्तीय सहायता के लिए अनुशंसा करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर

नाम –...

पदनाम –...

कार्यालय का पता –...

....

....

कार्यालय की मुहर –